लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से कियान्वयश्न के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या।

क्रम संख्या	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों कृत्य और कर्तव्य	लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद यांत्रिक संगठन के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, नलकूप वाराणसी एवं लिफ्ट सिंचाई मण्डल, वाराणसी के अधीन है। इस खण्ड द्वारा चौ0 चरण सिंह यमूना पम्प नहर स्तर I एवं II तथा चौ0 चरण सिंह टोंस पम्प नहर की जल आपूर्ति हेतु स्थापित पम्पों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य किया जाता है जिससे शंकरगढ़, बारा तथा जसरा के क्षेत्रों की सिचाई होती है।खण्ड में तीन उपखण्ड है परन्तु दो उपखण्ड कार्यशील है। प्रथम उपख्राण्ड के अर्न्तगत चौ0 चरण सिंह यमुना पम्प नहर स्टेज-I एवं II तथा चतुर्थ उपखण्ड के अर्न्तगत टोंस पम्प नहर के पम्प गृह कार्यरत है। तृतीय उपखण्ड में न तो कार्य है न ही कोई अधिकारी कार्यरत है केवल रिकार्ड की एवं सामान की देखभाल हेतु कर्मचारी कार्यरत है। सभी उपखण्डों का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। खण्ड एवं उपखण्ड में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन शासन द्वारा आवंटित बजट से होता है तथा बजट के सापेक्ष वेतन आहरण इलाहाबाद कोषागार से किया जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	
	1.अधिशासी अभियन्ता	खण्ड के अर्न्तगत उपखण्डों के समस्त कार्यो का नियंत्रण।
	2.सहायक अभियन्ता 1एवं 4	उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन।
	3.खण्डीय लेखाधिकारी	वित्तीय हस्तपुस्तिका का खण्ड-6 के पैरा 98 में निहित मुख्यतः लेखाओं का सग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जांचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यो का सम्पादन।
	4.अवर अभियन्ता	कार्यस्थल पर कार्यो को मानको एवं गुणवत्ता के साथ कराना।
	5.अनुसचिवीय अधिष्ठान	कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख-रखाव।
	6.ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।
	7.चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखण्ड में कराये गये कार्यो का निरीक्षण तथा कार्ये की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	चौ0 चरण सिंह यमूना पम्प नहर स्तर I एवं II तथा टोंस पम्प नहर को सम्बन्धित सिविल खण्ड की मॉग के अनुसार पम्पों को चलाकर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है तदनुसार शंकरगढ़ बारा एवं जसरा क्षेत्र की सिंचाई की जाती है।
5	अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निवर्हन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिये विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मु0अ0(न)/अधी0अभि0 द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यो का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यो के अभिलेखों का रखरखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहा0 अभियन्ताओं को तदनुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्रविधानों के अनुसार किया जाना।

7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	खण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को प्रशासनिक जिला परिषद इलाहाबाद पर सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है। जिसके अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श उपरान्त समाधान किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकार्यो के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उनके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रायोजन के लिए गठ्न किया गया है की क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकार्यो की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय दूरभाषः 0532-2250041 लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में तथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानें के आधार पर है।

पद	वेतनमान	पद	वेतनमान
अधिशासी अभियन्ता	15600-39100	पम्प आपरेटर	5200-20200
सहायक अभियन्ता	15600-39100	भण्डारपाल	5200-20200
अवर अभियन्ता	9300-34800	स्टोरमुन्शी	4440-7440
लेखाधिकारी	9300-34800	विद्युतकार	4440-7440
कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	रनर/चपरासी/टिण्डैल /बेलदार/वर्कन्दाज/ चौकीदार	4440-7440
वरिष्ठ सहायक	9300-34800		
आशुलिपिक ग्रेड-1	5200-20200		
प्रारूपकार	5200-20200		
वरिष्ठ लिपिक	5200-20200		
कनिष्ठ लिपिक	5200-20200		
चालक	5200-20200		

11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये सविवरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	अनुदान संख्याः96 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष, गााड़ियों का अनुरक्षण आदि मदों में प्रमुख अभि0 के कार्यालय तैनात की नियंत्रक द्वारा बजट अवांटित होता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और फायदा ग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित है।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।
14	किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	विभाग में कम्प्यूटर और इन्टरनेट उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के आदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।	भारत का कोई भी नागरिक वॉछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों का नाम	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद सिंचाई

	पदनाम और अन्य विशिष्टिया।	विभाग हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभि0 (नलकूप) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 वाराणसी के अधीनस्थ नामित जो निम्नवत है। 1. श्री एस0के0सिंह — अधीक्षण अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, लिफ्ट सिंचाई मण्डल, वाराणसी। 2. श्री अजीत कुमार — अधिशासी अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी, लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद। 3. श्री शशीकान्त विद्यार्थी — सहायक अभियन्ता-प्रथम, सहायक जनसूचना अधिकारी, लिफ्ट सिंचाई खण्ड इलाहाबाद।

(एस0 के0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता